

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 338]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/VAISAKHA 22, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 12 मई, 2016

सा.का.नि. 504(अ).-भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2015 को जारी अधिसूचना सं. फेमा 11(R)/2015-आरबी जो सा.का.नि. सं.1006 (अ) के माफ़त भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी (जिसे इसके पश्चात गज़ट अधिसूचना कहा गया है), में :-

(i) गज़ट अधिसूचना के हिन्दी और अँग्रेजी रूपांतर में विनियम 4 के अंतर्गत, पहली पंक्ति में, "विनियम 3 के खंड (iv)" को "विनियम 3 के खंड (iii)" पढ़ा जाएगा।

2. गज़ट अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित बनी रहेगी।

[फा. सं. 1/31/ईएम-2015]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 12th May, 2016

G.S.R. 504(E).— In the Notification of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, No. FEMA 11R/2015-RB, dated December 29, 2015 bearing G.S.R. 1006E and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) (hereinafter referred as Gazette Notification):-

(2) under Regulation 4 of the Gazette Notification in Hindi and English version, in first line, for “clause (iv) of Regulation 3” read “clause (iii) of Regulation 3”.

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. 1/31/EM-2015]
SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in- Charge